//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 68/2019

उनवान

1. रामकिशोर
2. रूपश्याम किशोर
3. शिवरतन
4. ललित पि. श्यामलाल जाति सांसी निवासी ग्राम लोहरवाडा, नसीराबाद

––वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादी :– जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :– 5/8/24

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा की निम्न आराजी वादीगण की पुश्तैनी कब्जेशुदाकाश्तकारी की है :–

हाल खसरा नम्बर	रकबा	वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा
2812	1.37	1221 मिन	1.00
		1232 मिन	0.37
2813	0.05	1231 मिन	0.05
2814	0.19	1231 मिन	0.19
2815	0.01	1232 मिन	0.01
2816	0.30	1231 मिन	0.30
2824	0.65	1223	0.65
2839	9.44	1241 मिन	3.89
		1232 मिन	5.55
2841	0.46	1243 मिन	0.46

उपरोक्त आराजी पर वादीगण निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा ज्वार, बाजरा, तिल की काश्त खसरा परिवर्तनशील सवंत 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2059, 2060, 2061, 2070 में वादीगण व उनके पिता श्यामलाल के नाम काश्त दर्ज की गयी दिनांक 24.09.2003 को जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष उक्त आराजी पर निरस्तर कब्जे काश्त के आधार पर नियमन हेतु आवेदन पेश किया गया [illegible] 21.10.23 को नियमन की कार्यवाही के लिये आदेशित किया गया। [illegible] को नियमन नही किया गया। प्रतिवादी आराजी मुतनाजा से वादीगण [illegible] है। वादीगण उकत आराजी पर प्रतिकूल कब्जे काश्त व धारा [illegible] प्राप्त करने के अधिकारी अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित कि[illegible]जावे। प्रतिवादी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:18:22 IST
Reason: SelfAttested

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा आरम्भ से ही व वर्तमान राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। कब्जे काश्त के आधार पर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। वादीगण उक्त आराजी पर अपना कब्जा मानते है तो नियमनुसार नियमन की कार्यवाही करनी चाहिये। अतः वाद सव्यय खारिज योग्य है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया आराजी मुतनाजा पर प्रतिकूल कब्जे काश्त व पूर्व रेकार्ड के आधार पर वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है ?

    -- वादीगण

2. आया वादग्रस्त आराजी कभी भी वादीगण की खातेदारी में दर्ज नही होने के कारण वाद खारिज योग्य है ?

    -- प्रतिवादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व वाद रामकिशोर का शपथ पत्र पेश किया। राज. पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकेार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णाय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 व 2 :-

आराजी मुतनाजा वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। उक्त आराजी कभी भी वादीगण/पूर्वज के नाम खातेदारी दर्ज नही थी। वादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा यदा-कदा अतिक्रमी हैसियत से ही रहा हैं। वादीगण का उक्त आराजी पर लगातार कब्जा काश्त सिद्व नही होता है। खण्डित कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते। वादीगण अथवा उनके पूर्वजों का सम्वत् 2012 से पूर्व का कोई निर्बाध कब्जा काश्त सिद्व नही होता है क्योकि धारा 91 की कार्यवाही के तहत उन्हे समय-समय पर बेदखल किया जाता रहा है। वादीगण द्वारा अतिक्रमण! करने पर प्रतिवादी उसे बेदखल करने हेतु स्वतंत्र है। बेदखली का उक्त कृत्य विधिक है। वादग्रस्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी सिद्व नही होती है। तहसीलदार नसीराबाद ने अपने निर्णय दिनांक 19.01.1993 में पूर्व में भी वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया था। वादीगण का उकत आराजी पर प्रतिकूल कब्जा काश्त भी सिद्व नही होता है। साथ ही प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर सिवायचक आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित आदेश आर आर टी 2011 (2) पेज 721 आर आर डी. 191 पेज 1 में भी उक्त तथ्य स्पष्ट होते है। आराजी मुतनाजा पर वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नही है। तनकी संख्या 1 व 2 विरूद्व वादीगण बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार गाम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 1221, 1232, 1231, 1223, 1241, 1243 की आराजी पर वादीगण का वाद [illegible]कार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:18:22 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]खण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामकिशोर बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88, 188, 92 अ राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 68/2019
पेश करने की दिनांक – 19.06.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

गाम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 1221, 1232, 1231, 1223, 1241, 1243 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 5 माह 8 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:18:22 IST
Reason: SelfAttested